

फर्द अहकाम

गिरफ्तारी

बनाम एडुकाट कोरट

नाम न्यायालय

SDO 211 एडुट

केस संख्या

21/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
31/8/23		<p>प्राथमिकी के अन्तर्गत एडुट के मावाज (मार्ग) के अन्तर्गत आजीविका के अभाव में उक्त व्यक्ति को उचित उपस्थित नहीं है। कृपया अपना बंधन दायरी अन्तर्गत में आरिज किया जाता है। जहाँकहाँ जैसा हुआ होना चाहिए।</p> <p>उप खण्ड शाहपुरा (जयपुर)</p> <p>1. उक्त अधिनियम के अन्तर्गत एडुट के अन्तर्गत आजीविका के अभाव में उक्त व्यक्ति को उचित उपस्थित नहीं है। कृपया अपना बंधन दायरी अन्तर्गत में आरिज किया जाता है। जहाँकहाँ जैसा हुआ होना चाहिए।</p> <p>(प्रति)</p>